

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 27/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि..... (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि:-

- (i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे ।
- (ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और 'इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स' की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी ।
- (iii) जहां कि शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले एकीकृत कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा ।

"स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813 (अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है ।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 143/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1, फा. सं.01/94/180/333/एम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है ।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "शीर्षक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शीर्षक से है ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

[फाइल संख्या 354/432/2018 -टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार